न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 126/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– पुकली बेवा दीपा 2– प्रहलाद पुत्र दीपा जाति कलाल निवासी सारंगवास तहसील सोजत, जिला पाली		मृतक शेषा पुत्र तुलछा जाति कलाल निवासी सारंगवास तहसील सोजत के कायम मुकाम – 1– गंगादेवी बेवा शेषा 2– हरिराम पुत्र शेषा 3– मृतक पन्नालाल के का0 मुकाम– 3.1– विद्यादेवी पत्नी पन्नालाल 3.2– वनिता पुत्री पन्नालाल 4– धर्मेन्द्र पुत्र शेषा 5– जगदीश पुत्र शेषा जातियान कलाल निवासीगण सारंगवास तहसील सोजत, जिला पाली 6– कमला पुत्री शेषा पत्नी मदनलाल जाति कलाल निवासी बेरा अमरतिया तहसील सोजत, जिला पाली 7– संतोष पुत्री शेषा पत्नी कालुराम जाति कलाल निवासी बेरा अमरतिया सारंगवास, तहसील सोजत 8– बाबूलाल पुत्र शेषा जाति कलाल निवासी सारंगवास तहसील सोजत जिला पाली 9– दिव्या पुत्री पन्नालाल पत्नी ओमप्रकाश पुत्र गणपत जी जाति कलाल निवासी राणावास, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली 10– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–9–2017 जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 08/2014 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री वी.एल.एस. राजपुरोहित एवं सुखदेव शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 एवं 8 की ओर से ।
3– श्री दिवाकर शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 3/1, 4 से 7 एवं 9 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 17–10–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष ग्राम

सारंगवास तहसील सोजत के नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 2–3–1994 के विरूद्ध प्रथम अपील यह कथन करते हुए प्रस्तुत की थी कि ग्राम सारंगवास पटवारी हल्का हरियामली के खसरा नंबर 357, 358, 360, 361, 362, 408 एवं 429 कुल 7 खसरान का रकबा 5.5700 हैक्टेयर था । उक्त भूमि पूर्व मे रेस्पो0 संख्या 1 (वर्तमान अपीलांट पुकली) के नाम 3/4 एवं अपीलांट (वर्तमान रेस्पो0) शेषा व शेषा के भाई सुखा के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज था। परंतु नायब तहसीलदार सोजत द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 110 के जरिये शेषा व शेषा के भाई का नाम विलोपित करते हुए पुकली बेवा दीपा 1/2 हिस्सा व प्रहलाद पुत्र दीपा 1/2 दर्ज कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–9–2017 के द्वारां उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम सारंगवास के नामांतरकरण संख्या 110 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 2–3–94 को अपास्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 5–9–2017 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान वर्तमान अपील के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि वर्तमान रेस्पो0 के पिता शेषा पुत्र तुलछा ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पुकली व अन्य के विरूद्ध उक्त अपीलाधीन भूमि मे उनका 1/2 हिस्सा घोषित करने के लिए पेश किया था जिसके वाद संख्या 60/86 पडे तथा उक्त वाद के निर्णय दिनांक 15–7–93 के द्वारा तनकीयात वादी के विपक्ष मे तय होने से खारीज हो चुका थां ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम सारंगवास का नामांतरकरण संख्या 110 नायब तहसीलदार सोजत ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के वाद संख्या 60/86 के निर्णय की पालना मे दिनांक 2–3–94 को स्वीकृत करते हुए पुकली बेवा दीपा का 1/2 हिस्सा एवं प्रहलाद पुत्र दीपा का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 110 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 8/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 5–9–2017 के द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 110 को निरस्त करने बाबत पारित अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 110 जो कि वर्ष 1994 मे स्वीकृत किया गया था, उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे वर्ष 2014 मे लगभग 20 वर्ष के विलंब से म्युटेशन अपील पेश की तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे कृत्रिम आधार बताकर मयाद को माफ करने का निवेदन किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांट

की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का विधिवत जवाब मय दस्तावेजात पेश किये थे जिससे ये प्रमाणित था कि इस नामांतरकरण के बारे मे रेस्पो0 को एवं उनके पिता को वर्षो पूर्व से जानकारी हो चुकी थी । वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 गण के पिता शेषाराम द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर सोजत मे एक अन्य दावा अन्तर्गत धारा 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी भूमि के संबंध मे प्रस्तुत किया था जिसमे रेस्पो0 के पिता के फोत होने पर वर्तमान रेस्पो0 ने वर्ष 2012 मे पक्षकार बनाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त दावे मे पक्षकार बने इसलिए यह नही माना जा सकता कि रेस्पो0गण को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी नही रही हो फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद मानकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्म नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन न्यायालय के जिस आदेश को आधार मानकर स्वीकार किया गया है, उस आदेश को किसी भी न्यायालय मे रेस्पो0 ने अब तक चुनोती देकर निरस्त नही कराया है इसलिए जब तक उस आदेश को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही करवा दिया जाता है, उसके आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को भी निरस्त नही किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 के पिता शेषाराम को अपीलाधीन भूमि मे किसी तरह के कोई अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत अर्जित ही नही हुए जबकि धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्व0 दीपा को अधिकार अर्जित हुए थे तथा खातेदार दीपा के देहांत के बाद जो विरासत का नामांतरकरण संख्या 60 दीपा की पत्नी पुकली के नाम स्वीकृत किया गया जो विधिवत ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 19–11–67 के प्रस्ताव के जरिये स्वीकृत हुआ था । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान उक्त म्युटेशन संख्या 60 की ओर दिलाया तथा कथन किया कि उक्त म्युटेशन के कॉलम संख्या 11 मे कांटछांट कर पुकली बेवा दीपा के नाम के आगे सुका, सेसा पि0 तुलछा जोडा गया है, जिसका कोई आधार नही था जिसका भी संदर्भ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट हो चुका था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिवत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 ने अपीलाधीन भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद तथा वाद बिन्दु एवं उन पर पारित निर्णय आदि तमाम तथ्यो को छुपाते हुए म्युटेशन संख्या 110 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलाधीन भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद एवं उनके पारित निर्णय आदि के बारे मे तमाम रेकर्ड पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–9–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 110 न्यायालय सहायक कलेक्टर के राजस्व वाद संख्या 60/86 का उल्लेख करते हुए स्वीकृत किया ही नही जा सकता था क्योकि अपीलाधीन भूमि पुश्तैनी भूमि थी जिसमे तुलछा के सभी वारिसान का अधिकार था इसी कारण म्युटेशन संख्या 60 मे दीपा के फोत होने पर मृत दीपा की पत्नी पुकली के साथ सुका व शेषा पि0 तुलछा का नाम दर्ज किया गया था ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 60 मे यदि किसी तरह की कांट छांट कर गलत स्वीकृत किया गया था तो अपीलांट ने उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी परंतु अब तक कोई कार्यवाही नही की इसलिए अपीलांट का यह कथन कि उक्त म्युटेशन स्वीकृत करने के बाद अन्य स्याही से बाद मे नाम जोडे गये है, मात्र कयासी कथन है जिस पर विश्वास नही किया जा सकता है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 110 के विरूद्ध विलंब से प्रस्तुत अपील के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उनके तर्को, दलीलो पर चिंतन किया तथां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–9–2017 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध रेकर्ड तथा वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भी गहनता से अध्ययन किया ।

पत्रावली पर उपलब्ध म्युटेशन संख्या 60 ग्राम सारंगवास के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील मे वर्णित विवादग्रस्त भूमि मूल रूप से हीरा पुत्र मूला 1/2 एवं दीपा पुत्र तुलछा 1/2 हिस्से मे दर्ज थी तथा रेकर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज या शहादत उपलब्ध नही है जिससे यह प्रकट हो कि उक्त भूमि कभी तुलछा के नाम दर्ज रही हो, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि उक्त भूमि स्व0 दीपा की पुश्तैनी भूमि रही हो । उक्त नामांतरकरण संख्या 60 के कॉलम संख्या 16 मे बैठक संख्या 15 दिनांक 19–11–67 मे ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित करने का उल्लेख किया है, ग्राम पंचायत के नामांतरकरण रजिस्टर की प्रति रेकर्ड पर उपलब्ध है जिसमे भी यह उल्लेख किया हुआ है कि दीपा के फोत होने पर उसके उतराधिकारी पुकली बेवा दीपा के नाम म्युटेशन भरा गया, जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर है । इसके अलावा उक्त म्युटेशन संख्या 60 दीपा के फोतेदगी का उसकी पत्नी पुकली के नाम से ही भरकर पटवारी हल्का द्वारा पेश किया गया अथार्त उक्त म्युटेशन के कॉलम संख्या 11 मे सुका, शेषा पि0 तुलछा के नाम इन्द्राज करने का कोई दस्तावेज रेकर्ड पर नही है । यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त म्युटेशन दीपा के फोतदगी का भरा गया है तो उसके वारिसान मे उसकी पत्नी पुकली प्रथम श्रेणी की वारिस जब जीवित है तो मृतक के भाई का नाम उक्त म्युटेशन मे दर्ज किया जाना विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रेस्पो0 के पिता शेषाराम द्वारा

अपीलांट पुकली एवं अन्य के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 60/86 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था जिसमे पारित निर्णय दिनांक 15-7-93 मे वाद बिन्दु संख्या एक को निर्णित करते समय उपखण्ड अधिकारी सोजत ने स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि उक्त भूमि कभी भी तुलछा की होना प्रमाणित नही होता है । अथार्त नियमित वाद मे भी यह निर्धारित हो चुका है कि उक्त भूमि स्व0 तुलछा की नही रही बल्कि दीपा के ही खातेदारी की रही है । इस प्रकार रेस्पो0 का यह कथन कोई महत्व नही रखता कि उक्त अपीलाधीन भूमि पुश्तैनी है तथा उसका नाम म्युटेशन संख्या 60 मे सही दर्ज किया गया है ।

इसके अलावा वर्तमान रेस्पो0 शेषा के वारिसान द्वारा एक अन्य वाद संख्या 167/08 भी न्यायालय सहायक कलेक्टर सोजत के समक्ष पेश किया गया है जिस वाद मे उक्त तमाम नामांतरकरण की नकले पेश की गई है इसके बावजुद भी रेस्पो0 ने उक्त तमाम तथ्यो को छुपाते हुए वर्ष 1994 मे स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 110 के विरूद्ध वर्ष 2014 मे लगभग 20 वर्षो के बाद अपील पेश की, जो जाहिरा मयाद बाहर थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तमाम तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 110 को निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है, वह न्यायोचित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना विधिसम्मत नही होगा ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5-9-2017 को निरस्त किया जाता है तथा नामांतरकरण संख्या 110 ग्राम सारंगवास यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17-10-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर